चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013

प्रलिम्सि के लयि:

[चुनावी ट्रस्ट योजना](), [चुनावी बॉण्ड](), राजनीतकि दल, [लोक प्रतनिधित्वि अधनियिम, 1951]()

मेन्स के लयि:

चुनाव प्रक्रयि पर चुनावी बॉण्ड का प्रभाव, नीत निर्माण एवं कार्यान्वयन से संबंधति मुद्दे

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस]()

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय]() ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉण्ड योजना को चुनौती पर अपना फैसला सुरक्षति रख लयि है।

- वर्ष 2018 में [चुनावी बॉण्ड (EB) योजना]() की शुरुआत से पहले चुनावी फंडगि के लयि एक और योजना जसि [इलेक्टोरल ट्रस्ट (ET)]() योजना कहा जाता है, वर्ष 2013 में शुरू की गई थी।

चुनावी ट्रस्ट योजना क्या है?

- **परचिय:**
    - चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा अधसूिचति कयि गया था।
    - चुनावी ट्रस्ट कंपनयिों द्वारा स्थापति एक ट्रस्ट है जसिका **एकमात्र उद्देश्य अन्य कंपनयिों और व्यक्तयिों से प्राप्त योगदान** को राजनीतकि दलों में वतिरति करना है।
    - सरिफ **कंपनी अधनियिम, 1956 की धारा 25** के **तहत पंजीकृत कंपनयिाँ** ही चुनावी ट्रस्ट के रूप में अनुमोदन के लयि आवेदन करने हेतु पात्र हैं। चुनावी ट्रस्टों को **हर तीन वत्तिीय वर्ष में नवीनीकरण के लयि आवेदन करना होता है।**
    - यह योजना एक चुनावी ट्रस्ट को मंजूरी देने की प्रक्रयि तय करती है जो स्वैच्छकि योगदान प्राप्त करेगा और उसे राजनीतकि दलों में वतिरति करेगा।
    - चुनावी ट्रस्ट से संबंधति प्रावधान **आयकर अधनियिम, 1961** और **आयकर नयिम-1962** के तहत हैं।
- **चुनावी ट्रस्ट में योगदान:**
    - वे इनसे योगदान प्राप्त कर सकते हैं:
        - एक व्यक्ति जो भारत का नागरकि है।
        - भारत में पंजीकृत एक कंपनी।
        - भारत में नविासी एक फर्म या हदिू अवभिाजति परविार या व्यक्तयिों का एक संघ या व्यक्तयिों का एक नकिाय।
    - वे इनसे योगदान स्वीकार नहीं करेंगे:
        - एक व्यक्ति जो भारत का नागरकि नहीं है या कसिी वदिेशी संस्था से है चाहे वह नगिमति हो या नहीं;
        - योजना के तहत पंजीकृत कोई अन्य चुनावी ट्रस्ट।
- **धन के वतिरण के लयि तंत्र:**
    - प्रशासनकि खर्चों के लयि चुनावी ट्रस्टों को एक वत्तिीय वर्ष के दौरान एकत्र कयि गए कुल धन का अधकितम 5% अलग रखने की अनुमति है।
        - ट्रस्टों की कुल आय का शेष 95% पात्र राजनीतकि दलों को वतिरति कयि जाना आवश्यक है।

            - [लोक प्रतनिधित्वि अधनियिम, 1951]() के तहत पंजीकृत पार्टयिाँ योगदान प्राप्त करने के लयि पात्र हैं।
    - चुनावी ट्रस्ट को प्राप्तयिों, वतिरण और **दाताओं तथा प्राप्तकर्त्ताओं की सूची के ववि‍रण सहति खाते बनाए रखने की आवश्यकता होती है।**
- **चुनावी ट्रस्टों के खातों की लेखापरीक्षा:**

    - प्रत्येक चुनावी ट्रस्ट को अपने खातों का लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा करवाना और **लेखापरीक्षा रिपोर्ट आयकर आयुक्त** या आयकर निदेशक को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चुनावी बॉण्ड क्या हैं?

- चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय साधन है।
- बॉण्ड **1 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए** के गुणकों में बिना किसी अधिकतम सीमा के जारी किये जाते हैं।
- **भारतीय स्टेट बैंक** इन बॉण्डों को **जारी करने और नकदीकरण के लिये अधिकृत** है, जो जारी होने की तारीख से **पंद्रह दिनों के लिये वैध** हैं।
- ये बॉण्ड पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में नकदीकृत किये जा सकते हैं।
- बॉण्ड केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट **जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक में दस दिनों की अवधि के लिये** किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है) द्वारा **खरीद के लिये उपलब्ध** हैं।
- एक व्यक्ति व्यक्तिगत या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है।
- बॉण्ड पर **प्रदाता का नाम अंकित नहीं** होता है।

चुनावी ट्रस्ट योजना चुनावी बॉण्ड योजना से किस प्रकार भिन्न है?

- **पारदर्शिता और जवाबदेही:**
    - **ET की कार्यप्रणाली को पारदर्शिता के कारण ही पहचान मिली है,** क्योंकि इसके अंतर्गत योगदानकर्त्ताओं और लाभार्थियों की पहचान का खुलासा किया जाता है।
        - चुनावी ट्रस्ट योजना के अंतर्गत एक सुदृढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन किया जाता है जिसकी विस्तृत वार्षिक योगदान रिपोर्ट भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को प्रस्तुत की जाती है। यह कार्यप्रणाली अनुदान और उनके आवंटन का व्यापक रिकॉर्ड सुनिश्चित करती है।
    - वहीं दूसरी ओर, **EB योजना में** पारदर्शिता की कमी देखने को मिलती है।
        - दानदाताओं की **पहचान के अभाव के कारण** वित्तपोषण की प्रक्रिया में एक अपारदर्शी वातावरण का निर्माण होता है, जिससे प्राप्त योगदान के स्रोत का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **फंडिंग रुझान (2013-14 से 2021-22):**
    - नौ वित्तीय वर्षों (2013-14 से 2021-22) के आंकड़ों से पता चलता है कि EB की शुरुआत के बाद दो सरकारी योजनाओं के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग बढ़ गई, जिसमें **बड़ी मात्रा में डोनेशन EB योजना के माध्यम से** आया।
        - वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों को ET के जरिये कुल 1,631 करोड़ रुपए मिले, जबकि EB के जरिये उन्होंने कुल 9,208 करोड़ रुपए का चंदा एकत्रित किया।
- **राजनीतिक दल की रसीदें:**
    - एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक एकल राजनीतिक दल ने वर्ष 2021-22 में ET द्वारा दिये गए कुल दान का 72% और वर्ष 2013-14 से वर्ष 2021-22 तक EB के माध्यम से 57% फंडिंग हासिल की है।
    - रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि राजनीतिक दलों को **55% से अधिक फंडिंग EB के माध्यम से** आती है।

और पढ़ें... चुनावी बॉण्ड मामला

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/electoral-trusts-scheme,-2013